

**बिहार सरकार**  
**वाणिज्य-कर विभाग**

-: अधिसूचना :-

पटना, दिनांक :-

संख्या-6 / प्रो0-06-02 / 2025-..... / (वा०कर)-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को राज्य-कर अपर आयुक्त एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक	वर्तमान कोटि
1	2	3	4
1	डॉ० मदन कुमार चौधरी (वैशाली)	62 / 2023 (40वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
2	श्री शैलेन्द्र कुमार पांडेय (पटना)	78 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
3	श्री अजित कुमार (पटना)	79 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
4	श्री अभिक अवतंश (पटना)	80 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
5	श्री अनुप कुमार (नालंदा)	81 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
6	श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी (रोहतास)	82 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
7	श्री शशि भानू (अररिया)	83 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
8	श्री मणिन्द्र कुमार (हजारीबाग)	85 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
9	श्री प्रमोद कुमार सुमन (औरंगाबाद)	86 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
10	श्री सिरिल बेक (राँची)	87 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
11	श्री तेज कुमार कुजूर (गुमला, झारखण्ड)	88 / 2023 (42वीं)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
12	श्री सुनील कुमार जायसवाल (पटना)	90 / 2023 (द्वितीय सीमित)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त
13	श्री अशर्फी लाल विद्यार्थी (पटना)	93 / 2023 (द्वितीय सीमित)	राज्य-कर संयुक्त आयुक्त

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक राज्य-कर अपर आयुक्त (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य-कर अपर आयुक्त स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / -

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 6 / प्रो0-06-02 / 2025. 1443 ..... / पटना, दिनांक :- 28/04/26

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / माननीय उप मुख्यमंत्री (वाणिज्य-कर) के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / सभी राज्य-कर विशेष आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग / सभी राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन / अंकेक्षण / अपील / वसूली कोषांग) / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी / सभी अंचल प्रभारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, गर्दनीबाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी / सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं प्रभारी पदाधिकारी, ई0-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) एवं आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं ई0गजट कोषांग को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ दो प्रतियों में सी0डी0 सहित उपलब्ध कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग,  
बिहार, पटना।

(6)